**संख्या-4/2026-वे0आ0-2-443/दस-2026-ई0प0संख्या-2015306**

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
न्याय विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 20 जुलाई, 2026

**विषय :** वेतन समिति (2016) के सातवें प्रतिवेदन के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत कार्मिकों से सम्बंधित भत्तों के सम्बन्ध में दी गयी संस्तुतियों पर मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में वेतन समिति (2016) के सातवें प्रतिवेदन के माध्यम से दी गयी संस्तुतियों पर मुख्य सचिव समिति द्वारा विचार कर प्रदान की गयी संस्तुतियों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत कार्मिकों से सम्बंधित भत्तों के सम्बन्ध में निम्नवत निर्णय लिए गए हैं:-

**(1) अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखागार/प्रापर्टी रूम के कर्मचारियों को विशेष भत्ता-**

अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखागार/प्रापर्टी रूम के कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से विशेष भत्ता रू0 300 प्रतिमाह कर दिया जाय।

**(2) अधीनस्थ न्यायालयों के वाहन चालक एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता -**

अधीनस्थ न्यायालयों के वाहन चालक एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का तत्काल प्रभाव से चिकित्सा भत्ता 0 300 प्रतिमाह कर दिया जाय।

**(3) अधीनस्थ न्यायालयों के गैर न्यायिक सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों को यात्रा/प्रतिपूर्ति/विशेष भत्ता-**

अधीनस्थ न्यायालयों के गैर न्यायिक सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से यात्रा/प्रतिपूर्ति/विशेष भत्ता निम्नानुसार पुनरीक्षित कर दिया जाय :-

| क्र0सं0 | पदनाम | वर्तमान दर प्रतिमाह (रू0 में) | पुनरीक्षित दर प्रतिमाह (रू0 में) |
|---|---|---|---|
| 1 | तहसील/तालुका/जिला मुख्यालय पर कार्यरत स्टेनोग्राफर | 100 | 300 |
| 2 | शहरों में कार्यरत स्टेनोग्राफर | 150 | 450 |
| 3 | प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के वैयक्तिक सहायक | 200 | 600 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

**(4) <u>अधीनस्थ न्यायालयों के बेंच क्लर्क (पेशकार) एवं स्टेनोग्राफर को अनुमन्य वर्दी-</u>**

अधीनस्थ न्यायालयों के बेंच क्लर्क (पेशकार) एवं स्टेनोग्राफर को वर्दी, वर्दी की नवीनीकरण एवं वर्दी धुलाई भत्ता निम्नवत दर से अनुमन्य किया जाय :-

**(i)** <u>वर्दी की दरें</u> :-

प्रारम्भिक नियुक्ति के समय वर्दी भत्ता (रूपये में)

| **क्र0सं0** | **पदनाम** | **पुनरीक्षित दर (रू0 में)** |
|---|---|---|
| **(1)** | **(2)** | **(3)** |
| 1 | बेंच क्लर्क (पेशकार) | 4500 |
| 2 | स्टेनोग्राफर | 4500 |

**(ii)** <u>वर्दी नवीनीकरण हेतु अनुमन्य दरें</u> :-

| **क्र0सं0** | **पदनाम** | **पुनरीक्षित दर (रू0 में)** |
|---|---|---|
| **(1)** | **(2)** | **(3)** |
| 1 | बेंच क्लर्क (पेशकार) | 4500 (प्रत्येक 03 वर्ष बाद) |
| 2 | स्टेनोग्राफर | 4500 (प्रत्येक 03 वर्ष बाद) |

**(iii)** <u>वर्दी धुलाई भत्ते की दरें (प्रतिमाह)</u> :-

| **क्र0सं0** | **पदनाम** | **पुनरीक्षित दर (रू0 में)** |
|---|---|---|
| **(1)** | **(2)** | **(3)** |
| 1 | बेंच क्लर्क (पेशकार) | 100 |
| 2 | स्टेनोग्राफर | 100 |

**2-** उक्त भत्तों की संशोधित दरें विभागीय शासनादेश निर्गत किये जाने के दिनांक से लागू होंगी।

**3-** कृपया उपर्युक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

**भवदीय,**
**दीपक कुमार,**
**अपर मुख्य सचिव।**

**<u>संख्या-4/2026-वे0आ0-2-443/दस-2026, तद्दिनांक</u>।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

**(1)** वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-01

**(2)** कार्मिक नियमावली सेल

**आज्ञा से,**
**पुष्पराज,**
**विशेष सचिव।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in